भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 239
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

पशु कल्याण संगठन

***239. श्री बृजमोहन अग्रवालः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पशु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया और देश में ऐसे सभी मान्यता प्राप्त संगठनों की सूची क्या है;
(ख) विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान पशु कल्याण बोर्ड की विभिन्न अनुदान सहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में पशुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित दर्ज शिकायतों का ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा उनके संबंध में विशेषकर छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में, पशुओं के प्रति क्रूरता की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए जागरूकता कार्यक्रमों/अभियानों का ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

पशु कल्याण संगठन के संबंध में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 239 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) के पास पशु कल्याण संगठनों (AWO) को प्रत्यायन देने संबंधी कोई प्रणाली नहीं है। हालाँकि, एडब्ल्यूबीआई गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों और धारा 8 की कंपनियों सहित उन एडब्ल्यूओ को मान्यता देता है, जो आमतौर पर संबंधित राज्य कानूनों, जैसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, न्यास अधिनियम, कंपनी अधिनियम या गौशाला अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं। वर्ष 2022 से, एडब्ल्यूबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठनों को नीति आयोग के दर्पण (DARPAN) पोर्टल पर पंजीकरण करके एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्राप्त करना आवश्यक है और उन्हें कम-से-कम तीन वर्षों से पशु कल्याण कार्यकलापों में सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, एडब्ल्यूबीआई ने एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (www.awbi.gov.in) तैयार किया है जिसके माध्यम से पात्र संगठन अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

इसकी शुरुआत से अब तक, देश भर में गौशालाओं सहित कुल 3,587 पशु कल्याण संगठनों को मान्यता दी जा चुकी है, जिनमें से 945 दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हैं। मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों की सूची भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। https://awbi.gov.in/uploads/documents/175388176646Update%20Recognition%20list%20dt.%2010.07.2025_compressed.pdf.

(ख) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गईं:

(i) **नियमित और गोपशु बचाव अनुदान**: मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों (AWO) को पशु आश्रयों के रखरखाव, पशु चिकित्सा देखभाल, आहार और चारे आदि के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियमित अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) प्रस्तुत करने पर, अवैध ढुलाई से बचाए गए पशुओं की देखभाल के लिए भी सहायता प्रदान की गई। मुकदमा लंबित होने पर, इस प्रकार बचाए गए पशुओं के लिए अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए अनुदान स्वीकार्य था।

(ii) **पशुओं के लिए आश्रय आवास योजना**: मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों और पशु क्रूरता निवारण सोसायटी (SPCA) को चारदीवारी, आश्रय गृह, पानी की टंकियों, जल निकासी व्यवस्थाओं, आंतरिक औषधालयों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान की गई। आवेदक संगठन के अनिवार्य 10% अंशदान को छोड़कर, अधिकतम 22.50 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है।

(iii) **संकटग्रस्त पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी योजना:** मान्यता प्राप्त एडब्ल्यूओ को संकटग्रस्त पशुओं के बचाव और आपातकालीन उपचार के लिए एम्बुलेंस के रूप में कार्य करने हेतु उपयुक्त वाहनों की खरीद और उनमें बदलाव करने के लिए सहायता प्रदान की गई। इस योजना में लागत का 90% वहन किया गया, जिसमें वाहन के लिए 3.50 लाख रुपए और उपकरण व फिटिंग के लिए 1.00 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता शामिल थी।

(iv) **आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण और टीकाकरण करने संबंधी योजना**: इस योजना के अंतर्गत, मान्यता प्राप्त एडब्ल्यूओ को आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान की गई। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक कुत्ते के लिए 445 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(v) **प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को सहायता देने संबंधी योजना**: बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पशुओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूओ, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान की गई। इस सहायता में चारा, आश्रय, चिकित्सा और अन्य आवश्यक राहत उपाय शामिल थे।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एडब्ल्यूबीआई द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

योजना	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
नियमित अनुदान	130	199	445	408	39.98
पशु जन्म नियंत्रण	2.12	-	-	-	-
एम्बुलेंस	49.41	48.56	48.65	-	-
प्राकृतिक आपदा	2.0	-	5.0	-	-
आश्रय अनुदान	150	150	70.03	42.22	30.24
कुल	333.53	397.56	568.68	450.22	70.22

उपर्युक्त योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित और अशोधित किया गया है, जिन्हें वर्ष 2025-26 से भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा निम्नानुसार लागू किया जाएगा:

(i) **वृद्ध, संकटग्रस्त, बेघर, घायल और बीमार पशुओं के लिए सहायता अनुदान हेतु पशु आश्रय योजना,** जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों, पशु क्रूरता निवारण सोसायटी (SPCA) को बड़े और छोटे पशु आश्रय गृहों की स्थापना के लिए 27 लाख रुपए और 15 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) **पशु चिकित्सा देखभाल और बचाए गए पशुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना:** पशुओं की क्षमता के आधार पर गोशालाओं, पिंजरापोलों, एसपीसीए, यूएलबी या सरकारी संस्थानों को उनके द्वारा आश्रय प्राप्त पशुओं की पशु चिकित्सा देखभाल और अवैध परिवहन और वध से पशुओं को बचाने के लिए 25000 रुपए से 10 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

(iii) **आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण और टीकाकरण करने संबंधी योजना:** पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य पशुपालन एजेंसियों (SPCA) और स्थानीय निकायों को प्रति कुत्ते 800 रुपए और बिल्लियों के लिए 600 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, इस योजना में पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार कुत्तों की नसबंदी करने में रुचि रखने वाले राज्य पशुपालन विभागों के सरकारी पशु चिकित्सा औषधालयों को पशु जन्म नियंत्रण इकाई में अपग्रेड करने के लिए 2.0 करोड़ रुपए तक की सहायता की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण का विषय भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पशुओं के प्रति क्रूरता के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर दंड लगाने के लिए समर्थकारी प्रावधान निहित हैं। यद्यपि पशु क्रूरता की शिकायतों का समाधान मुख्य रूप से स्थानीय प्रशासन और संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले कानून प्रवर्तन

प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, तथापि भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है।

देश के विभिन्न हिस्सों से पशुओं के प्रति क्रूरता की शिकायतें प्राप्त होने पर, एडब्ल्यूबीआई ऐसे मामलों को संबंधित राज्य सरकारों, जिलाधिकारियों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को मौजूदा कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करता है।

पिछले पाँच वर्षों में, एडब्ल्यूबीआई ने कुल 4,939 शिकायतों को कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजा है। प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का वर्षवार विवरण एडब्ल्यूबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://awbi.gov.in/Cruelty

जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रश्न है, पिछले पांच वर्षों में एडब्ल्यूबीआई द्वारा 20 शिकायतों का समाधान किया गया।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने जन जागरूकता बढाने और पशु कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं। इन प्रयासों में 15 जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा पशु कल्याण संबंधी चिंताओं पर 35 परामर्शियां तथा परिपत्र जारी करना शामिल है।

इस वर्ष से, केंद्र सरकार ने पशुपालन और पशु कल्याण माह की शुरुआत की है, जो प्रतिवर्ष 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मनाया जाएगा। वर्तमान वर्ष में, इस अभियान को 13 मार्च तक बढ़ा दिया गया। इस दौरान विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक कार्यकलाप आयोजित किए गए। इनमें एक राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार, 672 स्वास्थ्य जाँच शिविर, 641 बांझपन शिविर, 598 जागरूकता शिविर और गोष्ठियाँ, 408 टीकाकरण शिविर, 118 कार्यशालाएँ, गौशालाओं के लिए 126 कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में 100 प्रतियोगिताएँ, 38 बछड़ा-बछियां रैलियाँ, 35 पशुधन मेले, 30 दुग्ध प्रतियोगिताएँ या शुद्ध नस्ल प्रतियोगिताएँ, 16 ऑनलाइन वेबिनार, 9 रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम तथा 495 अन्य आउटरीच कार्यकलाप शामिल हैं।

एडब्ल्यूबीआई विभिन्न शैक्षिक और जागरूकता पहलों के माध्यम से पशु कल्याण को लगातार बढ़ावा दे रहा है। यह राज्य सरकारों और पशु कल्याण संगठनों (AWO) के साथ मिलकर सेमिनार, कार्यशालाएँ और अभियान आयोजित करता है। बोर्ड ने पशु कल्याण कानूनों और पशु आबादी के प्रबंधन संबंधी हैंडबुक प्रकाशित की हैं तथा यह सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और प्रवर्तन को सुदृढ करने के लिए मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि, कॉलोनी एनिमल केयरटेकर, गौशाला कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है।

राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्डों के साथ नियमित बैठकें पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करती हैं। पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए, एडब्ल्यूबीआई राष्ट्रीय स्तर के सम्मान, जैसे प्राणि मित्र और जीव दया पुरस्कार, भी प्रदान करता है।

*****